

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/आषाढ़ 20, 1936

No. 358]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASHADHA 20, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 490(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 के नियम 7 में,—

(क) 'सारणी-न' शीर्षक के अधीन, "(1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् जमा की गई रकमों के लिए)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "(1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2014 से पूर्व जमा की गई रकम के लिए)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) सारणी 'न' के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"सारणी-प

(01 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् जमा की गई रकमों के लिए)

जमा की अवधि	ब्याज-दर प्रतिवर्ष
1 वर्ष	8.4
2 वर्ष	8.4
3 वर्ष	8.4
5 वर्ष	8.5".

(ग) टिप्पण के पैरा (2) में, "सारणी-न" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "सारणी न या सारणी-प" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में अपने का. जा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II (भाग) तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01.04.2014 से संशोधित की गई ब्याज-दरों की सूचना का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II तारीख 4 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग- II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और पश्चात्पूर्वी संशोधन सा.का.नि. 300(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1982, सा.का.नि. 257(अ), तारीख 11 मार्च, 1983, सा.का.नि. 502(अ), तारीख 9 जुलाई, 1984, सा.का.नि. 418(अ), तारीख 10 मई, 1985, सा.का.नि. 193(अ), तारीख 12 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 362(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 1005(अ), तारीख 23 दिसंबर, 1987, सा.का.नि. 353(अ), तारीख 18 मार्च, 1988, सा.का.नि. 507(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 191(अ), तारीख 27 मार्च, 1991, सा.का.नि. 580(अ), तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 727(अ), तारीख 6 दिसंबर, 1991, सा.का.नि. 431(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 586(अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 118(अ), तारीख 8 मार्च, 1995, सा.का.नि. 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 43(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 151(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 174(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 589(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 286(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 479(अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि. 742(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 846(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 323(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 400(अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 222(अ) तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2014

G.S.R. 490(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2014.
2. In the Post Office Time Deposit Rules, 1981, in rule 7,—
 - (A) under the heading “Table-T”, for the brackets, words, figures and letters “(For deposits made on or after the 1st April, 2013)”, the brackets, words, figures and letters, “(For deposits made on or after the 1st day of April, 2013 but before the 1st day of April, 2014)” shall be substituted;
 - (B) after Table-T, the following Table shall be inserted, namely:—

“Table U

[For deposits made on or after the 1st April, 2014]

Period of deposit	Rate of interest per cent per annum
1 year	8.4
2 years	8.4
3 years	8.4
5 years	8.5”.

- (C) in the Notes, in paragraph (2), for the word and letter “Table T”, the words and letters “Table T or Table U” shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) *vide its O.M. No. 6-1/2011-NS-II (Pt.), dated the 11th November, 2011* has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Fund (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April, 2014, have been communicated *vide its O.M. No. 6-1/2011-NS-II, dated the 4th March, 2014*. It is certified that the interests of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011-NS-II (Pt. II)]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 664(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 300(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 257(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 502(E), dated the 9th July, 1984, G.S.R. 418(E), dated the 10th May, 1985, G.S.R. 193(E), dated the 12th February, 1986, G.S.R. 362(E), dated the 1st April, 1987,

G.S.R. 1005(E), dated the 23rd December, 1987, G.S.R. 353(E), dated the 18th March, 1988, G.S.R. 507(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 191(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 580(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 727(E), dated the 6th December, 1991, G.S.R. 431(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 586(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 118(E), dated the 8th March, 1995, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 43(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 151(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 159(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 174(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 589(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 286(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 479(E), dated the 26th June, 2008, G.S.R. 742(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 846(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 323(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 400(E) dated the 25th June, 2013, and G.S.R. 222(E), dated the 13th March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 491(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 में-

(क) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन अनुसूची में, अंतिम प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1.04.2013 से 31.3.2014 (दोनों तारीखें सम्मिलित हैं) 744.53

1.4.2014 से आगे 746.53".

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुसूची में, अंतिम प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1.04.2013 से 31.3.2014 (दोनों तारीखें सम्मिलित हैं) 744.53

1.4.2014 से आगे 746.53".

3. उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (2) की मद (क) और मद (ग) में, "सारणी 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 या 50", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सारणी 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 या 53", शब्द और अंक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 11 के उपनियम (2) की मद (ख) और मद (ग) में, "सारणी 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 या 51", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सारणी 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 या 54", शब्द और अंक रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 12 में,-

(क) उपनियम (1) की मद (ख) की उप-मद (ii) में, "सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 या 52" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 या 55" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (3) और उपनियम (4) में, "सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 या 52", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "सारणी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 या 55", शब्द और अंक रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम की सारणी 49 के पश्चात्, निम्नलिखित सारणियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"सारणी 53

(नियम 10 देखें)

1 अप्रैल, 2014 को या इसके पश्चात् खोले गए और परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि से आगे, मासिक जमाओं के साथ परिपक्वता अवधि के पश्चात् चालू रखे गए खाते पर, ब्याज सहित, संदेय रकम।

संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता जारी रखा जाता है	10 रुपए मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रुपए)
एक वर्ष	936.64
दो वर्ष	1143.22
तीन वर्ष	1367.71
चार वर्ष	1611.66
पांच वर्ष	1876.76

टिप्पण: किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम, ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

सारणी 54

(नियम 11 देखें)

1 अप्रैल, 2014 को या इसके पश्चात् खोले गए और परिपक्वता की अवधि या नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि से आगे, किसी नये मासिक जमा के बिना, परिपक्वता अवधि के पश्चात्, चालू रखे गए खाते पर, ब्याज सहित, संदेय रकम।

संपूरित वर्षों की संख्या जिनके लिए खाता जारी रखा जाता है	10 रुपए मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रुपए)
एक वर्ष	811.07
दो वर्ष	881.20

तीन वर्ष	957.41
चार वर्ष	1040.23
पांच वर्ष	1130.23

टिप्पण: किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम, ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी।

सारणी 55

(नियम 12 देखें)

1 अप्रैल, 2014 को या इसके पश्चात् खोले गए पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाते के जमाकर्ता की मृत्यु पर उसके विधिक वारिस या नामनिर्देशिती को संदेय रकम।

जमा की गई राशियों की संख्या	10 रुपये के मूल्यवर्ग के लिए रकम (रकम)	जमा की गई राशियों की संख्या	10 रुपये के मूल्यवर्ग के लिए रकम (रुपए)
1 से 11	किए निक्षेप	36	410.30
12	125.57	37	423.23
13	136.52	38	436.25
14	147.53	39	449.33
15	158.62	40	462.55
16	169.80	41	475.83
17	181.05	42	489.19
18	192.37	43	502.68
19	203.79	44	516.25
20	215.28	45	529.88
21	226.83	46	543.66
22	238.49	47	557.51
23	250.22	48	571.43
24	262.02	49	585.50
25	273.92	50	599.64
26	285.90	51	613.85
27	297.94	52	628.22
28	310.10	53	642.65
29	322.32	54	657.16
30	334.62	55	671.83
31	347.03	56	686.57
32	359.51	57	701.38
33	372.06	58	716.36

34	384.74	59	731.41
35	397.48	60	746.53

टिप्पण: अन्य मूल्यवर्गों के लिए रकमें आनुपातिक होंगी।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में अपने का.ज्ञा. सं. 6-1/2011-एन.एस.॥ (भाग) तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01.04.2014 से संशोधित की गई व्याज-दरों की सूचना का.ज्ञा. सं. 6-1/2011-II, तारीख 04 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग-II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 666 (अ) तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन:- सा.का.नि. 301 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 1982, सा.का.नि. 258 (अ), तारीख 11 मार्च, 1983, सा.का.नि. 62 (अ), तारीख 14 फरवरी, 1986, सा.का.नि. 363 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 39 (अ), तारीख 16 फरवरी, 1988, सा.का.नि. 458 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 1988, सा.का.नि. 708(अ), तारीख 21 जुलाई, 1989, सा.का.नि. 16 (अ), तारीख 9 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 190 (अ), तारीख 27 मार्च, 1991, सा.का.नि. 579 (अ) तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 918 (अ), तारीख 11 दिसंबर, 1992, सा.का.नि. 42 (अ) तारीख, 1 फरवरी, 1993, सा.का.नि. 587 (अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 2 (अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 748 (अ), तारीख 4 नवंबर, 1999, सा.का.नि. 44(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 152 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 160 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 514 (अ), तारीख 23 जुलाई, 2002, सा.का.नि. 662 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2002, सा.का.नि. 175 (अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 588 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2004, सा.का.नि. 480 (अ), तारीख 26 जून, 2008, सा.का.नि. 740 (अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 843 (अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 398 (अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 221 (अ), तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2014

G.S.R. 491(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2014.

2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9,—

- (a) in the Schedule under clause (a) of sub-rule (1), for the last entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“From 1.04.2013 to 31.3.2014 (both dates inclusive) 744.53

From 1.04.2014 onwards 746.53”.

- (b) in the Schedule under clause (a) of sub-rule (2), for the last entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“From 1.04.2013 to 31.3.2014 (both dates inclusive) 744.53

From 1.04.2014 onwards 746.53”.

3. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (2), in items (a) and (c), for the words and figures “Tables 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 or 50”, the words and figures “Tables 1, 2, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 or 53” shall be substituted.

4. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (2), in items (b) and (c), for the words and figures “Tables 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 or 51”, the words and figures “Tables 3, 4, 12, 14, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 or 54” shall be substituted.

5. In rule 12 of the said rules,—

- (a) in sub-rule (1), in item (b), in sub-item (ii), for the words and figures “Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 or 52”, the words and figures “Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 or 55” shall be substituted;

- (b) in sub-rule (3) and sub-rule (4), for the words and figures “Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 or 52”, the words and figures “Tables 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 or 55” shall be substituted.

6. After Table 49 of the said rules, the following Tables shall be inserted, namely:—

“Table 53

(See rule 10)

Amount, inclusive of interest, payable on an account opened on or after the 1st day of April, 2014 and continued, with monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which account continued	Amount (rupees) repayable on an account of Rs. 10 denomination
One year	936.64
Two years	1143.22
Three years	1367.71
Four years	1611.66
Five years	1876.76

Note: The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

Table 54**(See rule 11)**

Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after the 1st day of April, 2014 and continued, without any fresh monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which account continued	Amount (rupees) repayable on an account of Rs. 10 denomination
One year	811.07
Two years	881.20
Three years	957.41
Four years	1040.23
Five years	1130.23

Note: The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above.

Table 55**(See rule 12)**

Amount, payable to legal heir or nominee on the death of the depositor in a Five Year Recurring Deposit Account opened on or after the 1st day of April, 2014.

Number of deposits made	Amount (rupee) for denomination of Rs.10	Number of deposits made	Amount (rupee) for denomination of Rs.10
1 to 11	Deposits made	36	410.30
12	125.57	37	423.23
13	136.52	38	436.25
14	147.53	39	449.33
15	158.62	40	462.55
16	169.80	41	475.83
17	181.05	42	489.19
18	192.37	43	502.68
19	203.79	44	516.25
20	215.28	45	529.88
21	226.83	46	543.66
22	238.49	47	557.51
23	250.22	48	571.43
24	262.02	49	585.50
25	273.92	50	599.64
26	285.90	51	613.85
27	297.94	52	628.22
28	310.10	53	642.65
29	322.32	54	657.16

Number of deposits made	Amount (rupee) for denomination of Rs.10	Number of deposits made	Amount (rupee) for denomination of Rs.10
30	334.62	55	671.83
31	347.03	56	686.57
32	359.51	57	701.38
33	372.06	58	716.36
34	384.74	59	731.41
35	397.48	60	746.53

Note: The amounts shall be proportionate for other denominations.”

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division), *vide* its O.M.No. 6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11th November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Funds (NSSF). Accordingly, the rates of interest on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April, 2014, have been communicated *vide* its O.M. No.6-1/2011-NS.II, dated 4th March, 2014. It is certified that the interest of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011-NS-II (Pt.II)]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* number G. S. R. 666(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 301(E), dated the 1st April, 1982, G.S.R. 258(E), dated the 11th March, 1983, G.S.R. 62(E), dated the 14th February, 1984, G.S.R. 95(E), dated the 7th February, 1986, G.S.R. 194(E), dated the 13th February, 1986, G.S.R. 363(E), dated the 1st April, 1987, G.S.R. 39(E), dated the 16th January, 1988, G.S.R. 458(E), dated the 15th April, 1988, G.S. R. 708(E), dated the 21st July, 1989, G.S.R. 16(E), dated the 9th January, 1990, G.S.R. 190(E), dated the 27th March, 1991, G.S.R. 579(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 918(E), dated the 11th December, 1992, G.S.R. 42(E), dated the 1st February, 1993, G.S.R. 587(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 748(E), dated the 4th November, 1999, G.S.R. 44(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 152(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 160(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 514(E), dated the 23rd July, 2002, G.S.R. 662(E), dated the 23rd September, 2002, G.S.R. 175(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 588(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 838 (E), dated the 27th December, 2004, G.S.R. 480(E), dated the 26th June, 2008 and G.S.R. 740(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 843(E) dated 25th November, 2011, G.S.R. 320 (E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 398 (E), dated the 25th June, 2013 and G.S.R. 221 (E), dated the 13th March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 492(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम, 2014 है।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के नियम 7 के उप-नियम (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन 01 अप्रैल, 2014 को या इसके पश्चात् की गयी किसी जमा की दशा में, इस जमा पर जमा की तारीख से 9.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में को अपने का.ज्ञा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II (भाग), तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01.04.2014 से संशोधित की गई ब्याज-दरों की सूचना अपने का.ज्ञा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II, तारीख 04 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग-II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण), अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और पश्चात्तवर्ती संशोधन सा.का.नि. 706(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2004 और सा.का.नि. 176(अ), तारीख 23 मार्च, 2006, सा.का.नि. 390(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. 639(अ), तारीख 28 जुलाई, 2010, सा.का.नि. 770(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2011 और सा.का.नि. 321(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 402(अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 224(अ), तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2014

G.S.R. 492(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2014.

2. In the Senior Citizen Savings Scheme Rules, 2004, in rule 7, in sub-rule (1), after the second proviso, following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that in the case of a deposit made under these rules on or after the 1st day of April, 2014, it shall bear at the rate of 9.2 per cent per annum from the date of deposit.”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) *vide* its O.M. No. 6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11th November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Fund (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April, 2014, have been communicated *vide*

its O. M. No. 6-1/2011-NS-II, dated the 4th March, 2014. It is certified that the interests of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011/NS-II]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India (Extraordinary) *vide* notification number G.S.R. 490(E), dated the 2nd August, 2004 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 706(E), dated the 27th October, 2004, G.S.R. 176(E), dated the 23rd March, 2006, G.S.R. 390(E), dated the 24th May, 2007, G.S.R. 639(E), dated the 28th July, 2010, G.S.R. 770(E), dated the 19th October, 2011, G.S.R. 321(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 402(E), dated the 25th June, 2013 and G.S.R. 224(E), dated the 13th March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 493(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1987 के नियम 8 के उप-नियम (1) में, खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ठ) अप्रैल, 2014 की पहली तारीख को या उसके पश्चात् जमा की जाने वाली राशियों के संबंध में 8.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में को अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II (भाग), तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01.04.2014 से संशोधित की गई ब्याज-दरों की सूचना अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II, तारीख 04 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग-II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 701 (अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और पश्चात्पूर्वी संशोधन सा.का.नि. 805 (अ), तारीख 21 जुलाई, 1988, सा.का.नि. 46 (अ), तारीख 20 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 581(अ), तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. 430(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 390 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 2 सितंबर, 1993, सा.का.नि. 5 (अ), तारीख 1 जनवरी, 1999,

सा.का.नि. 45 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 80 (अ), तारीख 1 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 613 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 153 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 161 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 350 (अ), तारीख 10 मई, 2002, सा.का.नि. 176 (अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 758 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2003, सा.का.नि. 288 (अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 59 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 521 (अ), तारीख 1 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 763 (अ), तारीख 8 दिसंबर, 2007 और सा.का.नि. 741(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 845 (अ), तारीख 25 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 399 (अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 223 (अ), तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2014

G.S.R. 493(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2014.

2. In the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987, in rule 8, in sub-rule (1), after clause (k), the following shall be inserted, namely: —

“(l) 8.4 per cent per annum in respect of deposits made on or after the 1st day of April, 2014.”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) *vide* its O.M. No. 6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11th November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Fund (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April, 2014, have been communicated *vide* its O.M. No. 6-1/2011-NS-II, dated the 4th March, 2014. It is certified that the interests of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011-NS-II (Pt.II)]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 701(E), dated the 10th August, 1987, and subsequently amended vide numbers G.S.R. 805(E), dated the 21st July, 1988, G.S.R. 46(E), dated the 20th January, 1989, G.S.R. 581(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 430(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 390(E), dated the 29th April, 1993, G.S.R. 585(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 45(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 80(E), dated the 1st February, 2000, G.S.R. 613(E), dated the 18th July, 2000, G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 161(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 350(E), dated the 10th May, 2002, G.S.R. 176(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 758(E), dated the 23rd September, 2003, G.S.R. 288(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 59(E), dated the 10th February, 2006, G.S.R. 521(E), dated the 1st August, 2007, G.S.R. 763(E), dated the 8th December, 2007 and G.S.R. 741(E), dated the 4th October, 2011, G.S.R. 845(E), dated the 25th November, 2011 G.S.R. 322(E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 399(E), dated the 25th June 2013 and G.S.R. 223(E), dated the 13th March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 494(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 में,—

(क) उप-नियम (6ग) में, "1 अप्रैल, 2013" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2013 किंतु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (6ग) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(6घ) जहां कोई प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 2014 को या इसके पश्चात् क्रय किया गया है, वहां किसी अंकित मूल्य के प्रमाण पत्र की परिपक्वता की अवधि 5 वर्ष होगी जो प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से आरंभ होगी। उसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय प्रमाण पत्र के भुनाए जाने पर, ब्याज सहित संदेय रकम, 100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए 151.62 रुपये और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी। नीचे सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट ब्याज प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रमाण पत्र के धारक या धारकों को प्रोद्भूत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में चौथे वर्ष की समाप्ति तक इस प्रकार प्रोद्भूत ब्याज के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका धारक की ओर से पुनः विनिधान किया गया है और प्रमाण पत्र के अंकित मूल्य की रकम के साथ जोड़ दिया गया है।

"सारणी

वर्ष के लिए अर्जित ब्याज	100 रुपये के अंकित मूल्य के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम (रुपये)
पहला वर्ष	8.68
दूसरा वर्ष	9.43
तीसरा वर्ष	10.25
चौथा वर्ष	11.14
पांचवा वर्ष	12.11".

टिप्पणः किसी अन्य अंकित मूल्य के किसी प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की आनुपातिक होगी।

3. उक्त नियम के नियम 16 के उप-नियम (4) में,—

(क) खंड (VII) में, "1 अप्रैल, 2013" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2013 किंतु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (VII) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(VIII) यदि 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् क्रय किया गया कोई प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-नियम (1) के अधीन भुनाया जाता है, तो संदेय रकम, जिसके अंतर्गत नियम 15 के अधीन प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित है और रियायत के समायोजन करने के पश्चात्, 100 रुपये के अंकित मूल्य के प्रमाण पत्र के लिए नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी।

सारणी

पत्र की तारीख से उसके भुनाए जाए की अवधि	ब्याज सहित संदेय रकम (रुपए)
(1)	(2)
तीन वर्ष या अधिक, किंतु तीन वर्ष और छह मास से कम	124.24
तीन वर्ष और छह मास या अधिक, किंतु चार वर्ष से कम	128.81
चार वर्ष या अधिक, किंतु चार वर्ष और छह मास से कम	133.56
चार वर्ष और छह मास या अधिक, किंतु पाँच वर्ष से कम	138.48".

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में को अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II (भाग), तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01.04.2014 से संशोधित की गई ब्याज-दरों की सूचना अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II, तारीख 04 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग-II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए:—सा.का.नि. 508(अ), तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120(अ), तारीख 8 मार्च, 1998, सा.का.नि. 7(अ), तारीख 1 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 491(अ), तारीख 5 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572(अ), तारीख 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2002, सा.का.नि. 179(अ), तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 591(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 820(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2003, सा.का.नि. 289(अ), तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 744(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 842(अ), तारीख 25 नवंबर, 2011 और सा.का.नि. 318(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2013, सा.का.नि. 397(अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 226(अ), तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2014

G.S.R. 494(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2014.

2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 15,—

(a) in sub-rule (6C), for the figures, letters and words “1st day of April, 2013”, the figures, letters and words “1st day of April, 2013 but before the 1st day of April, 2014,” shall be substituted;

(b) after sub-rule (6C) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“(6D) Where a certificate has been purchased on or after the 1st day of April, 2014, the maturity period of a certificate of any denomination, shall be five years, commencing from the date of issue of the certificate and the amount inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs 151.62 for denomination of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination, and the interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

Year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs. 100 denomination
First Year	8.68
Second Year	9.43
Third Year	10.25
Fourth Year	11.14
Fifth Year	12.11”.

Note : The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above”.

3. In rule 16 of the said rules, in sub-rule (4),—

(a) in clause (vii), for the figures, letters and words “1st day of April, 2013”, the figures, letters and words “1st day of April, 2013 but before the 1st day of April, 2014” shall be substituted;

(b) after clause (vii) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“(viii) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of certificate, purchased on or after the 1st day of April 2014, the amount payable, inclusive of interest accrued under rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

Period from date of certificate to date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	124.24
Three years and six months or more, but less than four years	128.81
Four years or more, but less than four years and six months	133.56
Four years and six months or more, but less than five years	138.48”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11th November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Funds (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April, 2014, have been communicated vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II, dated the 4th March, 2014. It is certified that the interests of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011-NS-II (Pt.II)]

RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989, and subsequently amended vide numbers G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8th March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2nd August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13th May, 2005, G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011 and G.S.R. 842(E), dated the 25th November, 2011, G.S.R. 318(E), dated the 25th April, 2013, G.S.R. 397(E), dated the 25th June, 2013 and G.S.R. 226(E), dated the 13th March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 495(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IX निर्गम) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 के उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(4) जहां कोई प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2014 को या इसके पश्चात् क्रय किया गया है, वहां उसकी परिपक्वता की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय प्रमाणपत्र के भुनाए जाने पर, ब्याज सहित संदेय रकम, 100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए 236.60 रुपये और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी। नीचे सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट ब्याज प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रमाणपत्र के धारक या धारकों को प्रोद्भूत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में चौथे वर्ष की समाप्ति तक इस प्रकार प्रोद्भूत ब्याज के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका धारक की ओर से पुनः विनिधान किया गया है और उसे प्रमाणपत्र के अंकित मूल्य की रकम के साथ जोड़ दिया गया है।

सारणी

वर्ष के लिए अर्जित ब्याज	100 रुपये के अंकित मूल्य के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की रकम (रूपये में)
पहला वर्ष	8.99
दूसरा वर्ष	9.80
तीसरा वर्ष	10.68
चौथा वर्ष	11.64
पांचवा वर्ष	12.69
छठा वर्ष	13.83
सातवां वर्ष	15.08
आठवां वर्ष	16.43
नौवां वर्ष	17.91
दसवां वर्ष	19.52

टिप्पण: किसी अन्य अंकित मूल्य के किसी प्रमाणपत्र पर प्रोद्भूत होने वाली ब्याज की रकम ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की आनुपातिक होगी।

3. उक्त नियमों के नियम 16 में,—

- (क) उप-नियम (4) के खंड (II) में, “1 अप्रैल, 2013” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2013 किंतु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उप नियम 4 के खंड (III) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित खंड और सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"(iv) यदि 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् क्रय किया गया कोई प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-नियम (1) के अधीन भुनाया जाता है, तो नियम 15 के अधीन प्रोद्भूत ब्याज सहित संदेय रकम, जिसके अंतर्गत रियायत के समायोजन करने के पश्चात्, 100 रुपये के अंकित मूल्य के प्रमाणपत्र के लिए नीचे की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी।

सारणी

प्रमाणपत्र की तारीख से उसके भुनाए जाने की अवधि	ब्याज सहित संदेय रकम (रुपए)
(1)	(2)
3 वर्ष या अधिक, किंतु 3 वर्ष और 6 मास से कम	124.24

3 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 4 वर्ष से कम	128.81
4 वर्ष या अधिक, किंतु 4 वर्ष और 6 मास से कम	133.56
4 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 5 वर्ष से कम	138.48
5 वर्ष या अधिक, किंतु 5 वर्ष और 6 मास से कम	144.50
5 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 6 वर्ष से कम	149.92
6 वर्ष या अधिक, किंतु 6 वर्ष और 6 मास से कम	155.55
6 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 7 वर्ष से कम	161.38
7 वर्ष या अधिक, किंतु 7 वर्ष और 6 मास से कम	167.43
7 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 8 वर्ष से कम	173.71
8 वर्ष या अधिक, किंतु 8 वर्ष और 6 मास से कम	180.22
8 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 9 वर्ष से कम	186.98
9 वर्ष या अधिक, किंतु 9 वर्ष और 6 मास से कम	193.99
9 वर्ष और 6 मास या अधिक, किंतु 10 वर्ष से कम	201.27 %

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में को अपने का.ज्ञा. सं. 6-1/2011-एन.एस.II (भाग), तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01-04-2014 से संशोधित की गई व्याज-दरों की सूचना अपने का.ज्ञा. सं. 6-1/2011-एन.एस. II, तारीख 04 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग-II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 848 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2011 के द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 319 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 सा.का.नि. 403 (अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 227 (अ), तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2014

G.S.R. 495(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (IX Issue) Rules, 2011, namely:-

- (1) These rules may be called the National Savings Certificates (IX Issue) Amendment Rules, 2014.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2014.
- In the National Savings Certificates (IX Issue) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 15, after Sub-rule (3), the following shall be inserted, namely:-

“(4) Where a certificate has been purchased on or after the 1st day of April, 2014, the amount inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs.236.60 for denomination of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination and the interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

Year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs. 100 denomination
First Year	8.99
Second Year	9.80
Third Year	10.68
Fourth Year	11.64
Fifth Year	12.69
Sixth Year	13.83
Seventh Year	15.08
Eighth Year	16.43
Ninth Year	17.91
Tenth Year	19.52

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.”.

3. In rule 16 of the said rules,-

- In clause (ii) of sub-rule (4), for the figures, letters and words “1st day of April, 2013”, the figures, letters and word “1st day of April, 2013 but before the 1st day of April, 2014” shall be substituted;
- after clause (iii) of Sub-rule (4) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“(iv) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of certificate purchased on or after the 1st day of April 2014, the amount payable, inclusive of interest accrued under rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

Period from date of certificate to date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (rupees)
(1)	(2)
3 years or more, but less than 3 years and 6 months	124.24
3 years and 6 months or more, but less than 4 years	128.81
4 years or more, but less than 4 years and 6 months	133.56
4 years and 6 months or more, but less than 5 years	138.48
5 years or more, but less than 5 years and 6 months	144.50
5 years and 6 months or more, but less than 6 years	149.92
6 years or more, but less than 6 years and 6 months	155.55
6 years and 6 months or more, but less than 7 years	161.38
7 years or more, but less than 7 years and 6 months	167.43
7 years and 6 months or more, but less than 8 years	173.71
8 years or more, but less than 8 years and 6 months	180.22
8 years and 6 months or more, but less than 9 years	186.98
9 years or more, but less than 9 years and 6 months	193.99
9 years and 6 months or more, but less than 10 years	201.27 .”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) vide its O.M.No.6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11th November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Funds (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April, 2014 have been communicated vide its O.M. No.6-1/2011-NS.II, dated the 4th March, 2014. It is certified that the interest of no deposit holder would be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011-NS-II (Pt.II)]

RAJAT BHARGAVA Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 848(E), dated the 29th November, 2011, subsequently amended vide numbers G.S.R. 319 (E), dated the 25th April, 2012, G.S.R. 403 (E), dated the 25th June 2013 and G.S.R. 227 (E), dated the 13th March, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2014

का.आ. 496(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 5 के अनुसरण में, यह अधिसूचित करती है कि निधि में 01 अप्रैल, 2014 को अथवा उसके पश्चात किए गए अभिदानों तथा अभिदाता के खाते में जमा शेष राशियों पर 8.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर व्याज दिया जाएगा।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने सभी संबंधितों राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए गठित श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न विनिश्चयों के बारे में को अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस.॥ (भाग), तारीख 11 नवंबर, 2011 के द्वारा सूचित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अधीन 01-04-2014 से संशोधित की गई व्याज-दरों की सूचना अपने का.जा. सं. 6-1/2011-एन.एस.॥, तारीख 04 मार्च, 2014 के द्वारा दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी निक्षेप धारक के हितों पर अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 6-1/2011-एनएस-II (भाग-II)]

रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. 48 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 192 (अ), तारीख 1 मार्च, 2001, का.आ. 271 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002, का.आ. 250 (अ), तारीख 1 मार्च, 2003, का.आ. 2681 (अ), तारीख 25 नवंबर, 2011 और का. आ. 904 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012, सा.का.नि. 401 (अ), तारीख 25 जून, 2013 और सा.का.नि. 225 (अ), तारीख 13 मार्च, 2014 द्वारा किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2014

G.S.R. 496(E).—In pursuance of Section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968, (23 of 1968), the Central Government hereby notifies that the subscriptions made to the Fund on or after the 1st day of April, 2014 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.7 per cent per second proviso, following proviso shall be inserted, namely:—

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget Division) vide its O.M. No. 6-1/2011-NS.II (Pt.), dated the 11th November, 2011 has communicated to all concerned the various decisions taken by the Government on the recommendations of the Shyamala Gopinath Committee for comprehensive review of National Small Savings Fund (NSSF). Accordingly, the rates of interests on various small savings schemes for the financial year 2014-15 revised with effect from 1st April 2014, have been communicated vide its O.M. No. 6-1/2011-NS-II, dated the 4th March, 2014. It is certified that the interest of no deposit holder shall be prejudicially affected by the retrospective effect given to the notification.

[F. No. 6-1/2011-NS-II (Pt.II)]

RAJAT BHARGAVA Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 48(E), dated the 15th January, 2000 and subsequently amended vide numbers S.O. 192(E), dated the 1st March 2001, S.O. 271(E), dated the 1st March, 2002, S.O. 250(E), dated the 1st March, 2003, S.O. 2681(E), the 25th November 2011, S.O.904 (E), dated the 25th April 2012, G.S.R. 401 (E), dated the 25th June, 2013 and G.S.R. 225 (E), dated the 13th March, 2014.